

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़**  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए।

पटवार हल्का अलेई जरिये तहसीलदार बनाग मोहित शर्मा वगैरे  
प्रार्थना पत्र संख्या- 02/134/2025

17/09/2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मय 177 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ द्वारा गैरसायलन के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा 397/0.55 हैक्टर वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ स्थित है। उक्त वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्लॉटिंग, बनाकर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि रूपान्तरण कर उपयोग किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। मौके पर अब यह भूमि पुनः कृषि करने योग्य नहीं रही है। अन्त में विवादित आराजी में कृषि भूमि पर प्लॉटिंग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश हैं।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आराजी खसरा 397/0.55 हैक्टर वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक दर्ज है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर प्लॉटिंग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा 397/0.55 हैक्टर वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में कृषि भूमि पर प्लॉटिंग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नहीं करे। ना ही प्रश्नगत भूमि का रहन/बेचान ना करें। एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिय नोटिस तत्कम होकर पेश हो। इस संबंध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हों तो दिनांक .../.../.../2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़  
जिला-अलवर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुक्म

17/11/25  
पितासीन के... में  
व्यस्त  
को पेश है। 17/11/25

17/11/25 पञ्जापली वेरा। वाने जवले  
दि. 18/11/25 को पेश है।

रीडर  
Soo

18/11/25 पञ्जापली वेरा। मुलपाद सख्या  
03/78/2025 को खारीज है जाने के कारण  
जा. फा 2/2 भी खारीज किया जाता है।  
साथ ही न्यायालय के पूर्व दि. 17/09/25  
को खारीज किया जाता है। पञ्जापली नम्बर  
से का होकर जमा लेख मंगाए है।

Soo

